न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी, **शिवांगी स्वर्णकार,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 05/2019 (रसद)
पंजीयन दिनांक 02.01.2019

राज्य सरकार जरिये श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, बेगूं (चित्तौड़गढ़)

–प्रार्थी

बनाम

मैसर्स सोमानी रिसोर्ट राष्ट्रीय राजमार्ग चित्तौड़गढ़–कोटा, बिछौर (नाल चौराहा) तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़

–विपक्षी

कार्यवाहीः–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 में जब्त शुदा सामग्री के निस्तारण बाबत।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थिति : 1–श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 06.08.2019

प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 06.11.2018 को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्देशों की पालना में दीपावली त्यौंहार के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों पर शुद्धता एवं घरेलू गैस के व्यवसायिक उपयोग के संबंध में गठित जांच दल द्वारा मौके पर मैसर्स सोमानी रिसोर्ट का प्रतिष्ठान के प्रबंधक श्री अनिल सोमानी की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया। मौके पर जांच के दौरान 10 घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग होना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डरों के संबंध में श्री अनिल सोमानी से आवश्यक दस्तावेज मांगे जाने पर मौके पर प्रस्तुत नहीं किये तथा न ही दस्तावेज होने संबंधी कोई दावा प्रस्तुत किया। मौके पर बेगूं गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि को बुलाकर मैसर्स सोमानी रिसोर्ट के कांटे से उक्त जब्तशुदा 10 घरेलू गैस सिलेण्डरों का वजन किया तो कुल 72.25 कि. ग्रा. गैस भरी हुई पाई गई। इस प्रकार विपक्षी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों का

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

उल्लंघन पाया जाने से इण्डेन गैस के 10 सिलेण्डर मय गैस मात्रा 72.25 कि. ग्रा. को जब्त कर, उक्त जब्त शुदा सामग्री के निस्तारण हेतु यह प्रकरण प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना-पत्र जारी किया गया। विपक्षी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। बहस प्रकरण पैरोकार सरकार सुनी गयी।

पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि सरकार द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नही किया जा सकता है। दिनांक 06.11.2018 को विपक्षी के प्रतिष्ठान की जांच करने पर विपक्षी के प्रतिष्ठान पर 10 घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग होते हुए पाया गया तथा इस सिलेण्डरों बाबत वैध दस्तावेज मांगने पर प्रस्तुत नहीं किए। इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर (14.20 कि.ग्रा.) का व्यवसायिक उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा इण्डेन के 10 गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है।

हमने पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण का गहनता से अवलोकन किया। जांच दल द्वारा विपक्षी के प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर विपक्षी के प्रतिष्ठान पर घरेलू श्रेणी के 10 गैस सिलेण्डर अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना तथा मौके पर उनका व्यवसायिक उपयोग करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर के वैध दस्तावेज मांगने पर विपक्षी द्वारा उक्त सिलेण्डरों के वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नही किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अपने प्रतिष्ठान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया है। अतः जब्त शुदा 10 इण्डेन के गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 05/2019 (रसद)
राज्य सरकार जरिए श्री हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी बेगूं बनाम मैसर्स सोमानी रिसोर्ट

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए जब्त शुदा इण्डेन के 10 गैस सिलेण्डर मय 72.25 कि. ग्रा. गैस राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों के निस्तारण की कार्यवाही कर पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official